

शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र: दिल्ली सरकार
9वां तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली

विधायक का नाम : श्री जगदीश प्रधान

दिनांक : 07.08.2018

विधान सभा अतारोकित प्रश्न संख्या : 87

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :-

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या यह सत्य है कि एमएलए फंड स्कीम को झूठा से शहरी विकास विभाग को स्थानान्तरित करने के बाद अनाधिकृत कॉलोनियों में पैसा खर्च करने की अनुमति नहीं मिल रही है,	एम.एल.ए.लैंड जी हाँ।
ख	यदि हाँ, तो उसका क्या कारण है ; और	एम.एल.ए.लैंड वर्तमान एमएलए.ए.लैंड गाईड लाईनस में अनुमोदित कार्यों का पुनर्निर्धारण विचाराधीन है।
ग	यदि नहीं, तो करावल नगर विधान सभा क्षेत्र में एमएलए फंड से अनाधिकृत कॉलोनियों में कार्य करने के लिए धनराशि आवंटित क्यों नहीं की जा रही है?	एम.एल.ए.लैंड लागू नहीं है।

